न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 06/2017

अर्जन पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी भूरियों की ढाणी (पाटोदा), तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर– राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. पोखर पुत्र चन्दा (फौत)
   1/1 सुखदेवा पुत्र पोखर
   1/2 वीरू पुत्र पोखर
   1/3 मनोहर पुत्र पोखर
   1/4 बोदू पुत्र पोखर
   1/5 अमरचन्द पुत्र पोखर
   समस्त जाति जाट निवासीगण पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर– राज.
2. डालू पुत्र रामूराम
3. सुल्तान पुत्र रामूराम
4. गिरधारी पुत्र रामूराम
5. मूलाराम पुत्र रामूराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर– राज.शंकरलाल पुत्र
6. हणमान प्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति जांगिड़ निवासीगण पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ़
7. पटवारी हल्का, पाटोदा, तहसील– लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
8. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– **दिनांकः 01.05.2018**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है01 यह कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 165 रकबा 6.07 हैक्टेयर तन ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है जिसे आगे प्रश्नगत आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। यह कि खसरा नम्बर 165 रकबा 6.07 हैक्टेयर तन ग्राम पाटोदा में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता वाके ग्राम भूरियों की ढ़ाणी (पाटोदा) के खेत खसरा नम्बर 58 के दक्षिणी तरफ से होते हुए खसरा नम्बर 66/11 के उतरी तरफ से होते हुए सड़क पाटोदा से सिगडोला जाती है में मिलता है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने का नहीं है उक्त रास्ते से ही प्रार्थी सदैव अपने खेत में आना जाना किया है तथा यही एकमात्र रास्ता सुविधाजनक है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 165 में पशुधन, ट्रेक्टर, ट्रोली, उंट गाड़ी आदि लाने ले जाने के लिये इसी रास्ते का उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है एवं आवागमन के लिये आम रास्ते की तरफ ही काम आ रहा है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता के आदेश फरमाया जावें।

यह कि प्रश्नगत रास्ते को राजस्व रिकार्ड में तरमीम व कटानी रास्ता करवाने के लिये प्रार्थी संख्या 8 ता 9 के यहां काफी चक्कर लगाए बाद टाल मटोल करते रहे एवं अंत में दिनांक 26.08.2017 को स्पष्ट इंकार हो इन्कारी के दिन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यह कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 165 में आवागमन के लिये प्रश्नगत रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 165 में आने जाने का रास्ता गांव भूरियों की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। ,यह कि प्रार्थना–पत्र दो रूपये के न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 165 रकबा 6.07 हैक्टेयर तन ग्राम पाटोदा में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ते वाके ग्रम भूरियों की ढ़ाणी (पाटोदा) के खेत खसरा नम्बर 58 के दक्षिणी तरफ से होते हुएब खसरा नम्बर 66/11 के उत्तरी तरफ से होते हुए सड़क पाटोदा से सिगडोला जाती है जिसको इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता तरमीम किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया व तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को मौका रिपार्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। पत्रावली में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/67 दिनांक 09.01.2018 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। इसी दौरान दिनांक 10.04.2018 को अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 कि ओर से उनके अभिभाषक ने उनवानी प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 पोखर के देहांत होने संबंधी सूचना का आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर उक्त दिनांक 10.04.2018 को प्रार्थी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 पोखर के देहांत होने के संबंध में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. व संशोधीत शीर्षक पेश किया। चूंकि वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 केम्प चल रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. दिनांकित 10.04.2018 को स्वीकार किया जाता है। साथ ही पत्रावली में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/67 दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। वर्तमान स्थिति तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की मौका रिपोर्ट के अनुसार ही प्रकट होती है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ की रिपोर्ट के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यपूर्ण पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश पारित किया जाता है कि–

(अ) तहसीलदार लक्ष्मणगढ की रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम पाटोदा के प्रार्थी के खेत ख.नं. 165 में आवागमन के लिए ख.सं. 66/1 में से रकबा 0.05 हैक्टेयर (80 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा कुल 480 वर्गमीटर), ख.सं. 66/11 में से रकबा 0.03 हैक्टेयर (40 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा कुल 240 वर्गमीटर), ख.सं. 58 में से रकबा 0.08 हैक्टेयर (134 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा कुल 804 वर्गमीटर) माप का रास्ता कायम (संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से अंकित) किया जाता है। इस अनुरूप नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाये ।

(ब) ख.सं. 66/1, 66/11 व 58 में से रास्ते मे गई भूमि कम करते हुए नवीन रास्ते को पृथक बटा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सीवाय चक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) मे दर्ज किया जाये ।

(स) प्रार्थी से डी.एल.सी. दर से संबधित खातेदार (अप्रार्थी) को भुगतान करने हेतु निम्न प्रकार राशि का डीडी प्राप्त किया जाकर खातेदारान को विधिवत भुगतान किया जाये।

(द) चूंकि बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है व बैंक में आराजियात रहन होने से बैंक के हित निहित है। बैंक को संशोधित(Revised) 6(1) जारी करने की हिदायत दी जाती है। इस बाबत तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित बैंक से सम्पर्क कर आराजियात से संबंधित संशोधित(Revised) 6(1) जारी कराने की कार्यवाही की जावें।

ख.नं.	रास्ते मे प्रयुक्त भूमि	डीएलसी दर	वसूल योग्य राशि(डीएलसी दर की दोगुनी)	खातेदारान का विवरण
66/1	0.05 हैक्टेयर (80 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा कुल 480 वर्गमीटर)	नियमानुसार	डीएलसी दर की दोगुनी	मुताबिक जमाबंदी के हिस्से अनुसार
66/11	0.03 हैक्टेयर (40 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा कुल 240 वर्गमीटर)			
58	0.08 हैक्टेयर (134 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा कुल 804 वर्गमीटर) नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित			

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें। तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को लिखवाया जाकर केम्प कोर्ट पाटोदा में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ(सीकर)
कैम्प– पाटोदा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official